बिहार सरकार
निर्वाचन विभाग
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, बिहार का कार्यालय
7, सरदार पटेल मार्ग (मैंगल्स रोड), बिहार, पटना–800015

दूरभाष सं0:– 0612–2217956
फैक्स:– 0612–2215611 / 2215978
ई–मेल:– ceo_bihar@eci.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

पटना – 09 अप्रैल, 2024

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशन में बिहार राज्य निर्वाचन विभाग निष्पक्ष, स्वच्छ एवं स्वस्थ चुनाव कराने के लिए कृतसंकल्प है। एक ओर जिलों में मतदान कर्मियों का प्रशिक्षण तथा समस्त गतिविधियों के संचालन का प्रशिक्षण जोर–शोर से चालू है, साथ ही समस्त तैयारियाँ भी प्रगति पर हैं।

इस संदर्भ में वोटर्स टर्नआउट बढ़ाने के लिए 'स्वीप' के तहत निर्वाचन विभाग द्वारा मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय स्तर से कई गतिविधियाँ जारी हैं। इसके अंतर्गत बिहार में युवा, महिला तथा सभी मतदाता समूहों को मतदान की प्रक्रिया से जोड़ने के लिए निर्वाचन विभाग की 'स्वीप' टीम ने मतदाता प्रचार–प्रसार पर आधारित कई वीडियो को जारी किया है। इससे संबंधित सभी वीडियो विभाग के लिंक https://ceobihar-nic-in/sveep-html पर उपलब्ध है। उक्त वीडियो को संबंधित लिंक से भी डाउनलोड किया जा सकता है तथा एक–दूसरे को मतदाता जागरूकता हेतु प्रेरित किया जा सकता है।

प्राप्त सूचनानुसार लोक सभा आम निर्वाचन, 2024 के लिए आदर्श आचार संहिता के तहत राज्य में औरंगाबाद जिलांतर्गत वाहन दुरूपयोग के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड है तथा अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है। भागलपुर जिलांतर्गत लाउडस्पीकर एक्ट के उल्लंघन के मामले में एक (01) केस रिकार्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। मधेपुरा जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है। पूर्वी चम्पारण जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में तीन (03) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार तीन (03) एफआईआर दर्ज है। सहरसा जिलांतर्गत अवैध बैठक/भाषण आदि के संदर्भ में एक (01) केस रिकॉर्ड किया गया है तथा तदनुसार एक (01) एफआईआर दर्ज है।

आदर्श आचार संहिता के तहत लोक सम्पत्ति के मामलें में अन्यान्य के तहत एक (01) बैनर तथा निजी सम्पत्ति के मामले में चार (04) पोस्टर एवं चार (04) बैनर के विरूद्ध कार्रवाई की गई है।

दिनांक 08.04.2024 को कुल **₹41.17110**(लाख) रूपये नगद बरामद किये गये हैं। कुल जब्त लिकर–15815.63(लीटर) की सूचना प्राप्त हुई है जिसका मूल्य **₹35.11702**(लाख) रूपये हैं। जहाँ तक ड्रग्स तथा नारकोटिक्स की बात है तो कुल **₹55.70576**(लाख) रूपये मूल्य के 1785.97(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। वहीं कीमती धातुओं की बात है तो कुल **₹21.22500**(लाख) रूपये मूल्य के 28.30(ग्राम) की मात्रा जब्त की गई है। मुफ्त/अन्य सामग्रियों के तहत कुल **₹66.53597**(लाख) रूपये मूल्य की 25298.00 सामग्रियों को जब्त किया गया है। इस प्रकार कुल **₹219.75485**(लाख) रूपये मूल्य की कुल जब्ती प्रतिवेदित है।